

I.

संगठन की विशिष्टताँ, कृत्य और कर्तव्य

राजकीय मुद्रणालय रुड़की में दिनांक 08.11.2000 से पूर्व उ० प्र० मुद्रणालय इलाहाबाद के अधिन था तथा दिनांक 09.11.2000 से स्वतन्त्र रूप से प्रदेश शासन के बिना लाभ-हानि का एक सेवा विभाग है। यह राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्त पोषित है। यहाँ पर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों का मुद्रण व प्रकाशन कार्य किया जाता है।

प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन मुद्रण विभाग का ताम्पर्य, शासन के महामहिम राज्यपाल, सामान्य प्रशासन सचिवालय तथा अन्य सभी शासकीय विभागों के उपयोगार्थ प्रपत्रों का मुद्रण एवं जिल्दसाजी का कार्य का निष्पादन का उनकी देखभाल करना ही इसका एक मात्र उद्देश्य है। यह प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल के अन्तर्गत संचालित है एवं मैनुअल के अनुसार समस्त शासकीय विभागों के कार्यों का मुद्रण/प्रकाशन सम्पूर्ति आदि का कार्य किया जाता है।

राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड विभाग की कार्य प्रणाली में राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के 1600 श्रृंखलाओं के पंजीकृत तथा लगभग 300 अपंजीकृत प्रपत्र/रजिस्ट्रों इत्यादि जैसे शिक्षा, साधारण एवं असाधारण गजट, पुलिस गजट, परफारमेन्स बजट, बजट, विधायकों उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्य, माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र, लोक सभा, स्थानीय निकाय एवं पंचायतराज के निर्वाचन के मतपत्रों विधान मण्डल/परिषद् की कार्यवाहियों, एजेण्डा आदि का मुद्रण/प्रकाशन की सम्पूर्ति का कार्य आता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्याधीन विभागों के गोपनीय कार्य, कार्मिक विभाग के शासनादेश, राजाज्ञा, नियुक्तियाँ, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग की जी०डी०, गोपनीय आख्या कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के प्रकाशन आदि का मुद्रण/प्रकाशन कार्य किया जाता है।

केवल रुड़की मुद्रणालय (मुख्यालय) है। देहरादून विधान सभा एवं मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में 02 सं० मिनी मुद्रणालय की स्थापना प्रस्तावित है।